घरेलू हिंसा, शोषण व जबरन श्रम के दुष्प्रभाव पर विद्यार्थियों को किया जागरूक

अलवर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनन्त भण्डारी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज 'प्रारम्भिक गर्भावस्था, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, शोषण एवं जबरन श्रम के दुष्प्रभाव' विषय पर कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने की तथा शिविर का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी का आधार होती है। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान संतुलित एवं पौष्टिक आहार, आयरन, कैल्शियम एवं फोलिक एसिड के सेवन, नियमित प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर देखभाल की अनिवार्यता पर बल दिया। साथ ही यह भी बताया कि गर्भवती महिलाओं को मानसिक रूप से सकारात्मक वातावरण, पारिवारिक सहयोग और समय-समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि प्रसवोत्तर अवसाद जैसी समस्याओं से बचाव हो सके।इसी प्रकार विशेषज्ञ वक्ताओं ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, निवास का अधिकार एवं भरण-पोषण के प्रावधानों की जानकारी दी तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, जबरन श्रम एवं मानव तस्करी, श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल एवं वैधानिक अधिकारों, लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन सुलह एवं जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित राष्ट्रीय अभियानों तथा वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के माध्यम से आमजन को सुलभ, त्वरित एवं किफायती न्याय प्राप्त करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

विधायक धनकड़ ने व्यापारियों की रोज़ी-रोटी बचाने की आवाज उठाई

पावटा। राष्ट्रीय राजमार्गों की बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के मध्य स्थित निर्माणों को ध्वस्त करने संबंधी आदेशों के विरोध में विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड ने आम नागरिकों और व्यापारियों की समस्या व उनके विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन देकर विधायक कुलदीप धनकड ने ज्ञापन लिखकर उल्लेख किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में दायर डी बी सिविल राइट पिटिशन न. 24826/2025 हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान राज्य में 22 जनवरी 2026 को पारित आदेश की अनुपालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 23 जनवरी 2026 को राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानकारी दी

दौसा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की केप इकाई की ओर से परियोजना कार्य की जानकारी मंगलवार को श्याम कॉलोनी वार्ड नम्बर 50 में आमजन के साथ बैठक कर दी गई।

केप आरयूआईडीपी के सामाजिक विकास अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि आपके घर का सेप्टिक टैंक या कुई को खाली करवाना है तो टोल फ्री नंबर 1800 3137 342 पर फोन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नगर परिषद में 800 रुपए की रसीद कटवानी होगी। उपस्थित महिलाओं को बताया कि आप नगर परिषद के अधिकृत टैंकर से ही खाली करवाएं, कोई भी प्राइवेट टैंकर खुले में या नालों में खाली करता हुए देखे तो उसकी सूचना नगर परिषद को देवे, जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि आपके घरों के सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल-जल को टैंकों में भरकर रोहड़ा कलां दौसा में बनाये गए एफएसटीपी प्लांट में ले जाया जाएगा।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव आज

शाहपुरा । 12 फीसदी आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को सैनी समाज के लोग जयपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। जय फुले माली विकास जन सेवा समिति शाहपुरा के अध्यक्ष साधुराम सैनी ने बताया कि शाहपुरा से सैनी समाज के 500 लोग जयपुर पहुंचकर विधानसभा घेराव में शामिल होंगे।

जयपुर विधानसभा घेराव में जाने के लिए शाहपुरा में स्थित अनाज मंडी के सामने सुबह 9 बजे से बस लगेगी जिसमें सैनी समाज के लोग बैठकर 10 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे।

सैनी समाज शाहपुरा के जो भी लोग जाना चाहते है वो समय पर पहुंचे। विधानसभा घेराव को लेकर सैनी समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। विधानसभा घेराव में आल राजस्थान माली सैनी समाज के करीब दस लाख लोग पहुंचने की संभावना है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पवन शर्मा पुत्र स्व. श्री कल्याण शर्मा का प्लाट नं. 57 एवं मेरी धर्मपत्नी ममता शर्मा का प्लाट नं. 58 न्यू चन्दलाई नगर, शिवदासपुरा के है, जो मेरे से खो गये है, जिसकी एफआईआर भी करवा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे सूचित करें, अन्यथा मेरे द्वारा जारी करने वाली सोसाइटी बाबा आर.एन. गौर गृह निर्माण सहकारी समिति को डुप्लीकेट पट्टे जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सूचित रहे अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो हमें या सोसायटी को 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करे।
पवन शर्मा, ममता शर्मा, 9413871618

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 10406 **आखिर आम सूचना** दिनांक 19.02.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 67/263 (MIG-B) का आवंटन श्री अशोक माथुर पुत्र श्री एल.बी. माथुर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 31-07-1995 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 02.11.2011 को कर दिया गया। श्री अशोक माथुर द्वारा उक्त आवास को दिनांक 02.01.2012 को श्रीमती सुनीता बंसल पत्नी श्री भानु प्रकाश बंसल को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सुनीता बंसल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 01.08.2019 को श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री सुरेश चन्द गुप्ता को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक (द्वितीय) जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री सुरेश चन्द गुप्ता द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री सुरेश चन्द गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. 130, योजना- श्रीराम विहार, हाथोज, कालवाड़ रोड़ का नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी मूल पट्टा, ऑरिजिनल रसीद, साईट प्लान कहीं गुम हो गये हैं। जिसकी एफ.आई.आर करधनी थाने में दर्ज है, कृप्या मिलने पर सूचित करें, राजू लाल राणा, 9828010181

मेरे आवास 69/70, वी.टी. रोड, मानसरोवर, जयपुर के मूल कार्यालय आदेश (Office Order) क्रमांक न.1772 जो कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सुशीला पाल पत्नी स्व. श्री राम भरोसे पाल के नाम से जारी है कृपया मिलने पर सूचित करें 9799997011

दुकान नं.- 2/SC/5/1 इन्दिरा गांधी नगर का मुल अलॉटमेंट, डिक्लेशन लेटर, अदेय प्रमाण पत्र, भौतिक कब्जा पत्र कहीं खो गया है। मिलने पर संपर्क करें- 7587712140

आवास संख्या 01/घ/23 शास्त्री नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र (handing over taken over) और अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। नरेन्द्र कुमार जैन मो. 9314234092

मेरे भूखण्ड सं.- 943 जे.डी.ए. की योजना आनंद विहार जयपुर का जे.डी.ए से जारी मूल आवंटन-पत्र और कब्ज़ा पत्र कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे- देशराज यादव मो. 7878587165

मेरे भूखण्ड सं. 26/283 सुभाष कॉलोनी सांगानेर जयपुर का पंजीकृत जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान और पट्टे के साथ संग्लन स्टाम्प पेपर कही गुम हो गये है मिलने पर सूचित करे-राम दयाल भहरवाल मो. 9587159056

अभिनव विहार विस्तार एच-155 का मूल आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र रास्ते में कहीं गिर गये मिलने पर सूचित करें मो.नं.-9413561929

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम रोहित कुमार कुलवाल से बदलकर रोहित कुमार गुप्ता रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। रोहित कुमार गुप्ता 261/294, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

मैंने अपना नाम काजल जायसवाल से कबीर और लिंग फीमेल से मेल में बदल लिया है। कबीर पुत्र श्री लोचन राम निवासी- A-6, उत्तम नगर, दिल्ली बाईपास रोड, रामगंज बाजार, जयपुर। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैं दीपक पुत्र शीशपाल सिंह उम्र 22 वर्ष, निवासी - पथरी बस्ति नम्बर-1 फोरेस्ट रनेज, पोस्ट - अम्बू वाला हरिद्वार उत्तराखंड, मेंने मेरा नाम दीपक से बदलकर दीपक सिंह पुत्र शीशपाल सिंह रख लिया भविष्य में मूझे इसी नाम से जाना जावें।

मैंने मेरा नाम गिर्राज प्रसाद गुर्जर से बदलकर गिरिराज गुर्जर रख लिया है भविष्य में मुजे ऐसी नाम से जाना जावे। गिरिराज गुर्जर, ग्राम देवरी, तहसील लवाण, जिला दौसा 9829005982

मेरा नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, 10वीं, 12वीं की अंकतालिका में दिव्या कालरा (Divya Kalra) दर्ज है। बाकी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन B.Com की अंकतालिका में कुम दिव्या कालरा (Kum Divya Kalra) है यह दोनो नाम मेरे स्वयं के है। भविष्य मुझे दिव्या कालरा (Divya Kalra) के नाम से जाना जावें।

JC334421N सब/डीईडी मनविंदर सिंह, HQ CWE जयपुर, (MES) कल्याण मार्ग, बनीपार्क जयपुर, घोषणा करता हूँ कि मैंने अपनी पुत्री और उसकी माता का नाम मेरे सैन्यसेवा अभिलेखों में अवलीन कौर पुत्री रविंदर कौर से बदलकर अवलीन कौर (Avlyn kour) पुत्री रविंदर कौर (Ravinder kour) किया जाए। हलफनामा संख्या CE759938, 23.02.2026

मैं, सूबेदार डीईडी मनविंदर सिंह JC334421N कार्यरत HQ CWE जयपुर, घोषित करता हूँ कि मैंने सैन्यसेवा अभिलेखों में अपनी माता का नाम और जन्मतिथि जोगिंदर कौर 01.04.1960 से बदलकर जोगिंदर कौर (Joginder Kour) 18.08.1962 कर लिया जाए। शपथपत्र संख्या- CE759939, CE759940 दिनांक 23.02.2026

मैंने अपना नाम नजमा से बदलकर खान नजमा तसव्वर पत्नी मोहम्मद इसरार रजा रख लिया है भविष्य में मुझे खान नजमा तसव्वर के नाम से जाना जावे 90-ए नार्थ पार्ट शक्ति धाम गिरधारीपूरा वैशाली नगर जयपुर 302021

मैं इंदूबाई M/o आर्मी नंबर 14447877W हवलदार पाटील दिपक शिवाजी निवासी स्थान वीपीओ उआन अहिर हट तहसील एरंडोल जिला जलगांव महाराष्ट्र पिन 425109 मेरे बेटे के सर्विस रिकॉर्ड में नाम इंदूबाई गलत दर्ज है मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम इंदूबाई शिवाजी पाटील है।

मैं शिवाजी F/o आर्मी नंबर 14447877W हवलदार पाटील दिपक शिवाजी निवासी स्थान वीपीओ उआन अहिर हट तहसील एरंडोल जिला जलगांव महाराष्ट्र पिन 425109 मेरे बेटे के सर्विस रिकॉर्ड में नाम शिवाजी और जन्मतिथि 01/07/1956 गलत दर्ज है मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम शिवाजी शेनपडू पाटील और जन्मतिथि 20/11/1954 है।

मैं जागृती D/o आर्मी नंबर 14447877W हवलदार पाटील दिपक शिवाजी निवासी स्थान सर्वे नम्बर 86/1 पुनगावरोड, मल्हार नगर पाचोरा जिला जलगांव महाराष्ट्र पिन. 424201 मेरे पिताजी के सर्विस रिकॉर्ड मेंरा जागृती गलत नाम दर्ज है मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम जागृती दिपक पाटील है।

मै भारती पाटील W/o आर्मी नंबर 14447877W हवलदार पाटील दिपक शिवाजी निवासी स्थान सर्वे नम्बर 86/1 पुनगावरोड, मल्हार नगर ,आदर्श नगर के नजदीक पाचोरा जिला जलगांव महाराष्ट्र पिन. 424201 मेरे पती के सर्विस रिकॉर्ड मेंरा भारती पाटील गलत नाम दर्ज है मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम भारती दिपक पाटील है।

I, Sorabh Sharma S/o Kailash Chand Sharma R/o Flat no 201, North East Enclave, Gurjer ki Thadi, Jaipur, have changed my name to Saurabh Sharma for all future purposes.

I IC 31872K Rank LT col Ramji Lal resident of plot no 160-B F-1 floor Tirupati apartment Anand Nagar Sirsi road Jaipur that i want to change name of my dependent from SANJU To SANJU RAMAWAT vide affidavit dated 20/2/26 before district sub divisional magistrate Jaipur city south

आम जाहिर सूचना:
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे प्लॉट नं. बी-111, लालचन्दपुरा योजना, जयपुर का मूल आवंटन पत्र क्रमांक: एफ.30()जविप्रा/उपा.12/05/डी-967, दिनांक 01.09.2005 जिसका आवंटन जविप्रा द्वारा प्रभात पुत्र गणेश के नाम जारी है कहीं गुम हो गया है। इसकी सूचना संबंधित थाने में दे दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर संपर्क करें, अन्यथा बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
दिनांक: 24-02-2026
हस्ताक्षर: महेश एवं अनिल बोहरा मोबाइल: 8302641846

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फॅर्म मै. लक्ष्मी रेडीमिक्स कंक्रीट, एफ -196-197 , रीको औद्योगिक क्षेत्र , खुशखेड़ा, टपूकड़ा जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान एक पार्टनरशिप फर्म है। जिसका DIC रजिस्ट्रेशन नंबर 02/85/2008 है। उक्त फर्म में श्रीमती मंजू चावला पत्नी शरवन चावला एवं हिमांशु चांवला पुत्र श्री शरवन चावला निवासीयान एच -231, द्वितीय तल, एच ब्लॉक, विकासपुरी, तिलक नगर , दिल्ली एवं अनिल कुमार चावला पुत्र चुन्नी लाल चावला निवासी जी-133, एफ/एफ, पुष्कर एनक्कलेव, पश्चिम विहार, दिल्ली पार्टनर थे। पार्टनर श्री अनिल कुमार चावला का निधन दिनांक 12.12.2021 को हो चुका है। इसके उपरान्त श्रीमती नीरजा चावला पत्नी अनिल कुमार चावला , सुगंधा चावला पुत्री अनिल कुमार चावला निवासीयान जी-133, एफ/एफ, पुष्कर एनक्कलेव, पश्चिम विहार, दिल्ली एवं श्रीमती श्रृष्टि चावला पत्नी पल्लव आनंद निवासी बी -431, मौरा बाग, पश्चिम विहार, दिल्ली नए पार्टनर बन गए है। उक्त भागीदारी परिवर्तन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में रजिस्ट्रार आर्फ फर्मस, जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी में अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं।
-पार्टनर, मै. लक्ष्मी रेडीमिक्स कंक्रीट

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1626 चूंकि प्रार्थी श्री Sunil sharma Authourised signatory, 109 Nemi nagar vistar behind petrol pump vaishali nagar jaipur Rajasthan ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास संत लो रेंस एजुकेशन सोसायटी Sector 5 VT Road Mansarover Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1517 चूंकि प्रार्थी श्री Vimal kumar golchha, B347 10b scheme, Gopalpura bypass Jaipur ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी शिक्षा समिति जयपुर Shri Jain, Shwetambar Tera Panthi Shiksha Samiti, Kanwatia Circle, Ke paas Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthanके सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1471 चूंकि प्रार्थी श्री कमल लोचन 23 गोविंदा कॉलोनी, त्रिवेणी क्रासिंग के पास, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर-302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री राम गौ सेवा समिति प्लाट नं. 5, श्री रामनगर कॉलोनी, आरा मशीन के पीछे, मान बाग जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1575 चूंकि प्रार्थी श्री Krishna kumar sharma, Shimala khetri jhunjhunun ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मेहंदीपुर बालाजी शिक्षण संस्थान दौसा Ghata mehandipur balaji tahshil sikarai jila dausa rajasthan के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1162 चूंकि प्रार्थी श्री ANMOL MATHUR, 121/144, AGARWAL FARM, VIJAY PATH, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास माथुर वेलफेयर ट्रस्ट PLOT NO S-245, MAHAVEER NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

Shree Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti
Plot no. 13-A, Guru Nanak Path, Main Malviya Nagar, Jaipur - 302017 (India)
BMVSS/ /25-26 **निविदा सूचना** Date: 24.02.2026
दिव्यांगजनों के उपयोग में आने वाले उपकरण तथा निर्माण कार्य में उपयोगी सामग्री व मशीनों आदि की आपूर्ति के लिए निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। सम्पूर्ण विवरण और शर्ते वैबसाईट http://www.jaipurfoot.org पर दिनांक 25.02.2026 से उपलब्ध होगी।
Mob.: 7737022984 सचिव

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं.269/2025
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम माया गिदवानी पत्नी रमेश गिदवानी जाति सिन्धी
विवाद स्थान पति के समस्त अधिकार बाबत मृतक ..... की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 31/03/2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रमेश गिदवानी पुत्र स्व.जयकिशन गिदवानी जाति सिन्धी निवसी 44/138 किरण पथ मानसरोवर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 31 माह 03 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 21 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम न्यायलय सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहित पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय पारिवारिक न्यायालय क्रम-05 जयपुर महानगर प्रथम
मोनिका शेखावत विरूद्ध आजाद सिंह तंवर
वाद/प्रार्थना पत्र 13 (A) हिन्दु विवाह अधिनियम
प्रार्थना-पत्र संख्या 469/2025 सन्
नाम आजाद सिंह तंवर पुत्र श्याम सिंह जाति राजपूत पता A-86 दुर्गा विस्तार कॉलोनी नियर NBC हसनपुरा रोड सदर जयपुर पश्चिम
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 17 माह 03 सन् 2026 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 19 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई
वरिष्ठ मुसंरिम
पारिवारिक न्यायालय क्रम-5 जयपुर महानगर प्रथम
मोहर अदालत

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1533 चूंकि प्रार्थी श्री DINESH KUMAR SHARMA, MAHADEVPURA TOONGA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास कामधेनु गौसेवा समिति MAHADEVPURA CHAKSU JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.04.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अ